



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 17/66/3/2014-HR-III(Admn.)

Dated 20.03.2014

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

The Directors/Heads of
all National Labs./Instts.

Sub: Clarification regarding Assessment of Group-III(6) to III(7) under revised MANAS.

Sir,

Reference is invited to CSIR letter No.17/66/25/94-PPS, dated 25.09.2006 whereby the decision of 167th meeting of the Governing Body with regard to deletion of para 2.2.3.1 of Revised MANAS was communicated and it was stated that Group-III(6) employees, having entry level qualification of Group-III, may be assessed for promotion upto Group-III(7). Later, a clarification was issued to some Labs. on the basis of CSIR letter No.17/66/13/94-PPS dated 16th/19th Jan., 2009 stating that candidates having entry level qualification of Gr.III without first class cannot be considered for assessment promotion from Gr.III(6) to III(7). This has led to anomalous situation in some cases. Therefore, the matter has been reviewed.

Keeping in view the rationale behind decision of GB to delete para 2.2.3.1, it is hereby clarified that the Group-III(6) employees having the entry level qualification of Group-III may be assessed upto Group-III(7). The 'entry level qualification' implies the qualification of Group-III on the basis of which the employee was recruited to Group-III.

Yours faithfully,

(Subhash Chander)
Section officer(HR)

Copy to

1. Sr. COAs/COAs/AOs of all Labs./Instts.
2. DS(CO)
3. Head, ITD with the request to upload on CSIR website.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सं.17/66/3/2014-एचआर-III(प्रशा.)

दिनांक: 20.03.2014
Dated _____

सेवा में,

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: संशोधित मानस के तहत समूह-III(6) से समूह-III(7) में मूल्यांकन से संबंधित स्पष्टीकरण

महोदय,

कृपया सीएसआईआर के दिनांक 25.09.2006 के पत्र सं.17/66/25/94-पीपीएस का संदर्भ लें जिसके माध्यम से संशोधित मानस के पैरा 2.2.3.1 को हटाए जाने के संबंध में शासी निकाय की 167वीं बैठक में लिए गए निर्णय को सूचित किया गया था और यह बताया गया था कि समूह-III की प्रवेश स्तर की अर्हता (एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन) रखने वाले समूह-III(6) के कर्मचारियों का समूह-III(7) तक पदोन्नति हेतु मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद सीएसआईआर के दिनांक 16/19 जनवरी, 2009 के पत्रांक 17/66/13/94-पीपीएस के आधार पर कुछ प्रयोगशालाओं को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि समूह-III के प्रवेश स्तर की अर्हता रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास प्रथम श्रेणी नहीं है को समूह-III(6) से समूह-III(7) में मूल्यांकन पदोन्नति देने हेतु विचार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कुछ मामलों में विसंगतियां आ गई हैं। अतः इस मामले की पुनः समीक्षा की गई।

पैरा 2.2.3.1 को हटाए जाने के शासी निकाय के निर्णय के औचित्य के मद्देनजर एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह-III की प्रवेश स्तर की अर्हता रखने वाले समूह-III(6) के कर्मचारियों का समूह-III(7) तक मूल्यांकन किया जाए। 'प्रवेश स्तर की अर्हता' का अर्थ है समूह-III की अर्हता जिसके आधार पर कर्मचारी को समूह-III में भर्ती किया गया था।

भवदीय,


(सुभाष चन्द्र)

अनुभाग अधिकारी (एचआर)

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. उप सचिव (के.का.)
3. प्रधान, आईटीडी - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।